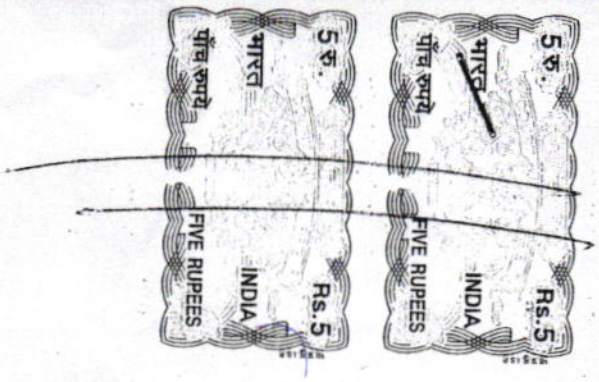

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुर्नाविलोकन प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–रीवा निग–1195–II–16

बृजनन्दन प्रसाद तिवारी पुत्र श्री बद्रीप्रसाद तिवारी, निवासी– ग्राम मुरैठा तहसील हनुमना जिला रीवा (म.प्र.)

...... आवेदक

विरूद्ध

सूर्यप्रताप मिश्रा पुत्र श्री वासुदेव मिश्रा निवासी– ग्राम मुरैठा तहसील हनुमना जिला रीवा (म.प्र.)

...... अनावेदक

श्री [illegible] द्वारा आज दि. 18.4.16 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 2188-II/2015 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 03.02.2016 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 51 के अधीन पुर्नाविलोकन आवेदन–पत्र।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नांकित निवेदन है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1– यहकि, भूमि खसरा 242/2 रकबा 0.35 [illegible] का आवेदक भूमि स्वामी है, और उसके द्वारा [illegible] भूमि का सीमांकन [illegible] जाने बाबत् दिया गया था। तत्पश्चात् तहसीलदार हनुमना ने मौके पर [illegible]कन किये जाने के आदेश दिये जिसमे सरहदी कास्तकार अनावेदक द्वा[illegible] आ[illegible]त्ति प्रस्तुत की गयी आपत्ति पर विचार करने के पश्चात् तहसीलदार धी[illegible]सिंह ने भूमि का सीमांकन किये जाने का आदेश राजस्व निरीक्षक हनुमना को पुनः दिया।

2– यहकि, तहसीलदार का स्थानान्तरण हो जाने के बाद प्रभारी तहसीलदार यादव पुनः सुनवाई की जाकर राजस्व निरीक्षक को पुलिब बल के साथ सीमांकन किये जाने के आदेश दिये गये। तत्पश्चात् राजस्व निरीक्षक हनुमना आदेश दिनांक 15.01.2015 से सीमांकन किये जाने का आदेश पारित किया।

3– यहकि, राजस्व निरीक्षक द्वारा किये गये सीमांकन आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण क्रमांक 2188/दो/2015 प्रस्तुत किया जो माननीय न्यायालय द्वारा आवेदक को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना एक पक्षीय आदेश दिनांक 03.02.2016 से राजस्व निरीक्षक न्यायालय द्वारा किये गये सीमांकन आदेश को निरस्त किये जाने का आदेश पारित किया एवं प्रकरण कलेक्टर जिला रीवा को प्रकरण में यह निर्देश दिये गये है कि वे इस बात की प्रारंभिक जॉच करे कि विषयांकित नक्शा तर्मीम किसी सक्षम आदेश के आधार पर की गयी थी या नहीं। जबकि माननीय

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक रिव्यु 1195–दो/2016 जिला–रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12–9 –16	आवेदक अभिभाषक श्री के0के0 द्विवेदी द्वारा न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर के प्र0 क्र0 2188/2015/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 03.02.2016 के विरूद्ध म0प्र0भू0रा0स0 की धारा 51 के अन्तगर्त यह पुर्नविलोकन आवेदन–पत्र प्रस्तुत की है। 2/ आवेदक अभिभाषक को ग्रहयता के बिन्दु पर सुना गया । आवेदक अभिभाषक ने अपने तर्को में बताया कि विवादित भूमि के संबंध में आवेदक द्वारा अपनी भूमि का सीमांकन किये जाने बावत आवेदन–पत्र विधिवत प्रस्तुत किया गया था, जिसके आधार पर सीमांकन राजसव निरीक्षक कार्यालय द्वारा किया जाकर आदेश पारित किया गया । उक्त आदेश को न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा आक्षेपत आदेश दिनांक 03.02.2016 से निरस्त किया गया । न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा आक्षेपित आदेश दिनांक 03.02.16 से राजस्व निरीक्षक हनुमना का आदेश निरस्त किया साथ ही साथ कलेक्टर, जिला–रीवा को प्रकरण में यह निर्देश दिये गये है कि वे इस बात की प्रारंभिक जांच करें कि विषयांकित नक्शा तरमीम इस सक्षम आदेश के आधार पर की गई थी या नहीं, जबकि इस प्रकरण में उपरोक्त तथ्या का विवाद ही नहीं था । उनके द्वारा तर्क में यह भी बताया गया कि उक्त	

प्रकरण में न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा आवेदक के विरूद्ध आदेश पारित किया है जबकि किसी भी व्यक्ति को सुने बिना तथा उसे अपने समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का अवसर दिये बिना कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में न्यायालय राजस्व मण्डल का आदेश पुर्नविलोकन योग्य है। अतः पुर्नविलोकन का आदेश स्वीकार किया जावे ।

3/ आवेदक अभिभाषक के तर्को पर विचार किया गया तथा न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर के आदेश का अवलोकन करने पर मैं इस निषकर्ष पर पहुँचा हूँ कि न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर द्वारा आदेश पारित करने में कोई त्रुटि नहीं की है। इसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं। न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर का आदेश स्थिर रखा जाता है। इसी स्तर पर प्रस्तुत पुर्नविलोकन का आवेदन–पत्र प्रचलन योग्य न होने से निरस्त की जाती है ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य